

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतनलाल पिता झमकलाल जाट निवासी हड़मतिया, तहसील कपासन
बनाम

किशनलाल पिता झमकलाल जाट निवासी हड़मतिया, तहसील कपासन वगैरा

प्रकरण संख्या 78/2021 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पुनः न्यायालय समय में रूक-रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकार तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ का तलबीदा अभिलेख मय निर्णय की प्रति के प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	